He Gazette of India

ससाधारण

EXTRAORDINARY

भाग 11 खण्ड 3 उप-खण्ड (ii)

PARTII - Section 3 - Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2335]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 10, 2010/कार्तिक 19, 1932

No. 2335] :

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 2010/KARTIKA 19, 1932

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नाई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2010

का.आ. 2763(अ).—केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शिवतयों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 394(अ), तारीख 19 अप्रैल, 1987 का निम्नलिखित संशोधन करती है।

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 13 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

| 1 | 2 | 3 |
|----|--------------------|-----------------|
| 14 | उप-खण्ड मजिस्ट्रेट | संपूर्ण उप-खण्ड |

[फा. सं. 1(7)/2010-पी एल]

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

टिप्पण:—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र संख्या का.आ. 394(अ), तारीख 16 अप्रैल, 1987 और पश्चात्वर्ती संशोधन का.आ. 237(अ), तारीख 29 मार्च, 1989, का.आ. 656 (अ), तारीख 24 अवस्त, 1989, का.आ. 624(अ), तारीख 3 सितम्बर, 1996, सा.का.नि. 587(अ), तारीख 1 सितम्बर, 2006 और का.आ. 2412(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2010

S.O. 2763(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby amends the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests No. S.O. 394 (E), dated the 16th April, 1987.

In the said notification, in the Table, after serial No. 13 and the entries relating thereto, the following serial No. and entries shall be inserted, namely:—

1 2 . 3

14 Sub-Divisional Magistrate Whole of Sub-Division

[F. No.1(7)/2010-PL]

RAJNEESH DUBE, Jt. Secv.

Note:—The Principal notification was published in the Gazette of India vide No. S.O. 394(E), dated 16th April, 1987 and subsequently amended vide S.O. 237(E), dated 29th March, 1989, S.O. 656 (E), dated 24th August, 1989, S.O. 624(E) dated 3rd September, 1996, G.S.R. 587(E), dated 1st September, 2006 and S.O. 2412(E), dated 22nd September, 2009.